

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त 2018

विषय:- जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

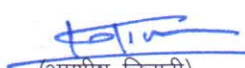
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/04/ 38/2018/एफसी/246, दिनांक 09-7-2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दिनांक 04-7-2018 को आर०ई०सी० की बैठक में हुये निर्णयानुसार कतिपय सूचनायें/अभिलेख प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्कम में विषयगत प्रकरण में की गयी अपेक्षा के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 246/11सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/29629/2017, दिनांक 31-7-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 31-7-2018 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- 2764 (1)/14-2-2018तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।